an>

Title : Need to conduct a survey in order to issue B.P.L. cards to beneficiaries in Jharkhand.

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : सभापति जी, झारखंड राज्य में राज्य निर्माण के पश्चात् 2002 से 2007 के बीच में और 2002 में बीपीएल सर्वे हुआ। बीपीएल सर्वे की रिपोर्ट 2003 में केन्द्र सरकार को सौंपी गई, परन्तु केन्द्र द्वारा इस पर तुरन्त कार्रवाई नहीं करते हुए इसे राज्य सरकार को वापस कर दिया गया। 2010-11 में झारखंड सरकार द्वारा पुनः बीपीएल सर्वे कराया गया, परन्तु इसे भी पूर्व की केन्द्र सरकार द्वारा माना नहीं गया। इसके बाद राज्य सरकार द्वारा इसे अतिरिक्त बीपीएल सूची का दर्जा दिया गया। उक्त बीपीएल सूची के लाभकों को सिर्फ चावल मिल रहा है। इसके अतिरिक्त इंदिरा आवास आदि अन्य सरकारी लाभ अतिरिक्त बीपीएल धारकों को नहीं मिल रहे हैं। इसके साथ-साथ एपीएल परिवार के जो सदस्य हैं, उनको भारत सरकार द्वारा दिये जा रहे लाभ समुचित मात्रा में प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। हमारा आग्रह होगा कि वर्तमान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली व्यवस्था को दुरुस्त करते हुए नई स्थायी बीपीएल सूची जारी की जाए तथा नई बीपीएल सूची में एपीएल परिवार को राशन कार्ड उपलब्ध कराए जाएँ। प्रत्येक पाँच वर्ष पर बीपीएल सर्वे कराया जाए। 2007 से 2014 के बीच में अभी तक झारखंड में स्थायी रूप से बीपीएल सूची जारी नहीं की गई है। उससे वहाँ के मज़दूर पलायन कर रहे हैं, उग्रवादी घटनाएँ घट रही हैं और झारखंड आज सुखाड़ की परिस्थिति में पहुँचा हुआ है।

सभापति महोदय, मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ कि अविलम्ब इस पर कार्रवाई करते हुए वहाँ के लोगों को राहत दी जाए। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।